भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1439

14 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

गैर-मानकीकृत इस्पात

1439. श्रीमती शांता क्षत्री:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में क्या प्रक्रिया लागू की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): इस्पात मंत्रालय ने गैर-मानक वाले इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किया है, जिसके द्वारा अधिसूचित इस्पात एवं इस्पात उत्पादों के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप होने को अनिवार्य बनाया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार जारी किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने से पहले, घरेलू विनिर्माताओं को और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को भी पूर्व सूचना दी जाती है। प्राप्त टिप्पणियों की जांच की जाती है और उन पर मेरिट के आधार पर विचार किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानकों का प्रमाणन और भारतीय मानकों के अनुरूप होने के संबंध में निगरानी की जाती है।

****